प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 22.07.2025

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 293/2025 धारा 87, 137(2) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता गोविन्द चौहान पुत्र टिकोरी लाल चौहान निवासी चपरा पूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 21.07.2025 को नेतवापुर चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 14.06.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर अपहृता को बरामद करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, का0 सौरभ उपाध्याय, म0का0 गुन्जन पाण्डेय।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 29 वाहनों से 44,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 22.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 29 वाहनों से 44,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 02 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि व 12000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 22.07.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) /एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा 02 अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि तथा 12000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। **विवरणः-**मु0अ0सं0 734/2005 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण 01. अमरजीत केवट पुत्र राजबली 02. बीरजू पुत्र नन्दू चमार निवासीगण हड़ही थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में जेल में बिताई गयी अवधि व 06-06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह के साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।